न्यायमूर्ति *राजबीर सेहरावत* के समक्ष

आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - *अपीलकर्ता*

बनाम

राम अवतार शर्मा और अन्य - *उत्तर*वादी

2021 का एफ.ए.ओ नंबर 934

14 सितंबर, 2021

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 279 और 337 - मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील - अपीलकर्ता की दलील कि दावेदार को 50% शारीरिक विकलांगता का सामना करना पड़ा, उसे 100 विकलांगता मानते हुए मुआवजा नहीं दिया जा सकता - चूंकि दावेदार कोई काम नहीं कर सकता था, इसलिए मुआवजे का आकलन कार्यात्मक विकलांगता के आधार पर किया जाना था, जो 100% इस तथ्य के कारण है कि दावेदार आजीविका कमाने में असमर्थ था- अपील खारिज कर दी गई।

निर्धारित किया गया कि, अपीलकर्ता के वकील के तर्क का एक और हिस्सा यह है कि जब शारीरिक विकलांगता 50% आंकी गई है तो विकलांगता के लिए 100% की सीमा तक मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि, यह तर्क भी बिना किसी बल के है। आय की हानि के संदर्भ में घायल की विकलांगता का मूल्यांकन घायल की कार्यात्मक विकलांगता के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इस मामले में डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घायल दावेदार अब मजदूर के रूप में कोई काम नहीं कर पाएगा। बल्कि मामले में शामिल चोट का भविष्य में उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, घायलों की कार्यात्मक विकलांगता को 100% के स्तर पर लेने में न्यायाधिकरण के मूल्यांकन में कुछ भी गलत नहीं है।

(पैरा 6)

राजबीर सिंह, अधिवक्ता

संजीव गोयल, वकील, *अपीलकर्ता-बीमा कंपनी* की तरफ से ।

अश्विनी अरोड़ा, वकील, कैविएटर-दावेदार-प्रतिवादी नंबर 1 की तरफ से ।

न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत (मौखिक)

(1) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (संक्षेप में, न्यायाधिकरण), चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 09.11.2020 के फैसले को चुनौती देने के लिए इंश्योरेंस-कंपनी द्वारा तत्काल अपील दायर की गई है, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने वर्तमान अपीलकर्ता-बीमा कंपनी द्वारा बीमा की

गई कार से जुड़ी दुर्घटना में प्रतिवादी नंबर 1-दावेदार को लगी चोटों के कारण ब्याज और लाभ के साथ 221,06,349 रुपये की राशि प्रदान की थी।

(2) न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय में उल्लिखित संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 17.03.2018 को प्रतिवादी-दावेदार; दूसरों के साथ; यह व्यक्ति जावलाजी (हिमाचल प्रदेश) से जिला भिंड (मध्य प्रदेश) जा रहा था। एमपी-30-सी-4426 जिसे विकास शर्मा द्वारा तेज गति से और लापरवाही से चलाया जा रहा था, जो वर्तमान अपील में प्रतिवादी नंबर 2 है। सुबह करीब 3.30 बजे जब वे शाहपुर लाइट प्वाइंट, चंडीगढ़ के पास पहुंचे, तभी एक अज्ञात ट्रक उनकी बाईं ओर से तेज गति से आया और कार से टकरा कर दुर्घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। दुर्घटना के परिणामस्वरूप कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पुलिस वाहन द्वारा अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में, प्रतिवादी नंबर 1-दावेदार को उपचार दिया गया था। हालांकि, दुर्घटना में उन्हें 50% की सीमा तक स्थायी शारीरिक विकलांगता का सामना करना पड़ा था। उक्त विकलांगता को चिकित्सक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। इन दावों के साथ दावेदार ने एक दावा याचिका दायर की जिसमें कहा गया था कि दावेदार एक मजदूर के रूप में काम कर रहा था और प्रति माह 215,000 / - कमा रहा था। अब उसे किसी भी काम को करने के लिए विकलांग बना दिया गया है। तदनुसार, दावेदार-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 12% ब्याज के साथ 9,00,000/- के मुआवजे का दावा किया गया था।

(3) नोटिस में आने पर कार के चालक और मालिक उपस्थित हुए और अपना लिखित बयान दर्ज किया, जिसमें कहा गया कि दुर्घटना अज्ञात ट्रक के चालक की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी; जिसके खिलाफ कार के चालक द्वारा सेक्टर 39, चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 279 और 337 के तहत दिनांक 17.03.2018 को एफआईआर नंबर 113 दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता-बीमा कंपनी ने एक अलग लिखित बयान दायर किया और उसमें दावा किया कि संबंधित कार बीमा पॉलिसी का उल्लंघन करके चलाई जा रही थी। दुर्घटना की तारीख को चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। दावा याचिका में किए गए अन्य दावों को भी अपीलकर्ता-बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

(4) न्यायाधिकरण के समक्ष मामले को साबित करने के लिए दावेदार नंबर 1 ने विनोद कुमार श्रीवास, चश्मदीद गवाह से पूछताछ की थी, जो आपतिजनक कार में सवार थे। इसके अलावा, अन्य गवाहों से भी पूछताछ की गई; और दावेदार भी गवाह के रूप में पेश हुआ। प्रतिवादी नंबर 1 की विकलांगता के बारे में चिकित्सा साक्ष्य भी रिकॉर्ड पर लाया गया था। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर की भी जांच पीडब्ल्यू-5 के रूप में की गई थी। उपरोक्त साक्ष्य के साथ दावेदार ने दावेदार की व्यक्तिगत पहचान और प्रमाण पत्र से संबंधित चिकित्सा बिल और अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखे थे।

(5) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने कोई सबूत पेश नहीं किया। न तो ड्राइवर कटघरा में पेश हुआ और न ही अपीलकर्ता-बीमा कंपनी ने न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी तथ्य को साबित करने या अस्वीकार करने के लिए किसी भी गवाह से पूछताछ की।

(6) संबंधित पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य की सराहना करते हुए, न्यायाधिकरण ने दावेदार की आय 26500 /- प्रति माह आंकी। दावेदार की विकलांगता को 100% कार्यात्मक विकलांगता माना गया था। तदनुसार, उपर्युक्त मुआवजा प्रदान किया गया था।

(7) मामले पर बहस करते हुए अपीलकर्ता इंश्योरेंस कंपनी के वकील ने प्रस्तुत किया है कि दुर्घटना अज्ञात ट्रक के तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी, जो मौके से भाग गया था। यहां तक कि आपत्तिजनक कार के चालक ने भी इसी आशय की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा बीमा की गई कार ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की थी। इसलिए, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी के खिलाफ कोई दायित्व नहीं बनाया जा सकता है। लापरवाही के अपने तर्क के समर्थन में अपीलकर्ता के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि कार केवल लाइट पॉइंट पर स्थिर स्थिति में थी, इसलिए, किसी भी तरह से, कार लापरवाही नहीं कर सकती थी। वकील ने प्रतिवादी नंबर 1 दावेदार द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष एग्जामिनेशन-इन-चीफ में दायर हलफनामे का भी उल्लेख किया है, जिसमें उल्लंघन करने वाली कार के लिए कोई लापरवाही नहीं बताई गई है। वकील का आगे तर्क यह है कि चूंकि दावेदार को केवल 50% शारीरिक विकलांगता का सामना करना पड़ा था, इसलिए, न्यायाधिकरण ने दावेदार की 100% विकलांगता को मानने और तदनुसार दावेदार की विकलांगता के कारण अत्यधिक मुआवजा देने में गलती की है। न्यायाधिकरण ने भविष्य के इलाज के लिए गलत तरीके से मुआवजा दिया है। इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा इस तरह के किसी भी उपचार की सलाह नहीं दी गई है। इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए और अपीलकर्ता बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त होने की हकदार है।

(8) दूसरी ओर, प्रतिवादी-दावेदार के वकील ने प्रस्तुत किया है कि न्यायाधिकरण ने रिकॉर्ड पर दिए गए सबूतों के अनुसार सही मुआवजा दिया है। वकील ने न्यायाधिकरण के समक्ष दिए गए प्रत्यक्षदर्शी विनोद कुमार के बयान का हवाला दिया है, जिन्होंने विशेष रूप से कहा है कि यह कार की लापरवाही थी, जिसे तेज गति से तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था। फिर भी वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि यह तथ्य कि उल्लंघन करने वाली कार के चालक ने न्यायाधिकरण के समक्ष गवाह के रूप में पेश होने का विकल्प नहीं चुना है, प्रतिवादियों के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है, खासकर जब वे दुर्घटना से इनकार कर रहे हैं। वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि चूंकि दावेदार इस विकलांगता के कारण अभी तक कोई काम नहीं कर सकता है, इसलिए, कार्यात्मक विकलांगता को 100% के रूप में लिया जाना सही है। भविष्य के उपचार के बारे में वकील

ने न्यायाधिकरण के समक्ष गवाही देते समय इस ओर इशारा किया है; डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दावेदार को 18 महीने के लिए फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होगी और उसके बाद दावेदार को विशेष कैल्शियम आहार की भी आवश्यकता होगी।

(9) पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, इस अदालत को अपीलकर्ता बीमा कंपनी के वकील की दलील में कोई आधार नहीं मिला। जहां तक उल्लंघन करने वाले वाहन की लापरवाही का सवाल है, उक्त कार में यात्रा करने वाले व्यक्ति से बेहतर कोई गवाह नहीं हो सकता था। सहयात्री विनोद कुमार से दावेदार ने गवाह के रूप में पूछताछ की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दुर्घटना आपतिजनक कार की लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी; जिसका वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा बीमा किया गया हो । उनके बयान में ट्रक के बारे में भी इसी तरह का दावा किया गया है; लेकिन बताया जा रहा है कि वह मौके से भाग गया है। हालांकि, यह दावेदारों को वर्तमान बीमा कंपनी से उनके मुआवजे से वंचित करने का कारक नहीं होगा। यदि वर्तमान बीमा कंपनी ने ट्रक की बीमा कंपनी को रिकॉर्ड पर लाया होता और उनके खिलाफ दावा किया होता, तो दो वाहनों की किसी भी समग्र लापरवाही से कार की बीमा कंपनी और उक्त ट्रक के बीच विवाद हो सकता था। दावेदार को उनसे मुआवजा वसूलने के लिए उल्लंघन करने वाले वाहनों में से किसी एक को चुनने का अधिकार है, जिससे उत्तरदाताओं को उनके बीच वसूली अधिकार प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

(10) हालांकि, अपीलकर्ता के वकील ने एफआईआर की सामग्री पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि कार का चालक लापरवाही नहीं कर रहा था, बल्कि, यह ट्रक का चालक था जो भाग गया था, जो मामले में विशेष रूप से लापरवाह था, हालांकि, यह अदालत इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती है कि संबंधित एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि आपतिजनक कार के चालक द्वारा दर्ज की गई है। इसलिए, यह स्वाभाविक है कि वह केवल अपनी त्वचा को बचाने की कोशिश करेगा। इस तथ्य को एफआईआर में किए गए अपने दावे को साबित करने के लिए भी न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने में आपतिजनक कार के चालक के आचरण से भी उजागर किया गया है। हालांकि, अपीलकर्ता के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि चूंकि वाहन प्रकाश बिंदु पर था, इसलिए, यह तथ्य, *वास्तव में,* आपतिजनक कार की ओर से किसी भी लापरवाही से इनकार करता है, हालांकि, यह दावा रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों द्वारा समर्थित नहीं है। मामले में जांच किए गए चश्मदीद गवाह ने कहा है कि आपत्तिजनक कार के चालक द्वारा लापरवाही से और तेज गति से कार चलाई जा रही थी। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि कार लाइट पॉइंट पर स्थिर स्थिति में थी। इसलिए, अपीलकर्ता के वकील का यह तर्क भी केवल अस्वीकार किए जाने के लिए नोट किया जाना चाहिए।

(11) अपीलकर्ता के वकील के तर्क का एक और हिस्सा यह है कि जब शारीरिक विकलांगता 50% आंकी गई है तो विकलांगता के लिए 100% की सीमा तक मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि, यह तर्क भी बिना किसी बल के है। आय की हानि के संदर्भ में घायल की विकलांगता का मूल्यांकन घायल की कार्यात्मक विकलांगता के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इस मामले में डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घायल दावेदार अब मजदूर के रूप में कोई काम नहीं कर पाएगा। बल्कि मामले में शामिल चोट का भविष्य में उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, घायलों की कार्यात्मक विकलांगता को 100% के स्तर पर लेने में न्यायाधिकरण के मूल्यांकन में कुछ भी गलत नहीं है।

(12) भविष्य के उपचार के लिए मुआवजे के लिए अपीलकर्ता के वकील की दलील भी किसी भी बल से रहित है। इलाज करने वाले डॉक्टर के बयान में यह आया है कि दावेदार को कम से कम 18 महीने तक फिजियोथेरेपी सत्र की आवश्यकता होगी। इसके बाद भी दावेदार को चोटों की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए उच्च कैल्शियम आहार की आवश्यकता होगी। इसलिए, न्यायाधिकरण ने भविष्य की चिकित्सा सहायता के कारण मुआवजा देने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है।

(13) कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया था।

(14) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील में कोई दम नहीं पाते हुए, इसे खारिज किया जाता है।

(15) अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई वैधानिक राशि को कानून के अनुसार दावेदारों को आगे प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित न्यायाधिकरण को भेजा जाए।

पी.एस. बाजवा

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

रोहतास,
(अनुवादक)